

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2018/माघ 12, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 432
No. 30]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2018/MAGHA 12, 1939	[N.C.T.D. No. 432

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 जनवरी, 2018

संख्या 71/ 2017 - राज्य कर

**सं.फा. 03 (79) /वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/56.** —राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं.फा. 03(70) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/808, तारीख 12 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 57/2017 - राज्य कर (जिसे केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. 57/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 के सन्दर्भ में जारी किया गया था) को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पचात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

## FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 31st, January, 2018

No.71/2017- State Tax

**No. F.3(79)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/56.**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), and in supersession of Notification No.57/2017 – State Tax (issued in reference to GOI notification No. 57/2017 –Central Tax dated the 15th November, 2017), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 ( 70 )/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/808, dated the 12<sup>th</sup> December, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	10th January, 2018
2	October - December, 2017	15th February, 2018
3	January - March, 2018	30th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from the 29<sup>th</sup> day of December, 2017.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National

Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)